

भारतीय प्रजातांत्रिक चुनाव तथा कृषि मजदूरो की समस्या : एक अम्बेडकरवादी दृष्टिकोन


नितिन वसंतराव खोब्रागडे, एम.ए. राज्यशास्त्र, विद्याभारती महाविद्यालय, अमरावती-४४४६०२ (महाराष्ट्र)

nv_khobragade@rediffmail.com

विश्व समुदायमें, भारत को विकासशील राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। यद्यपि भारत राष्ट्र को अंग्रेजी साम्राज्यवादी दासता का त्याग कर ७० साल बीत चुके हैं फिर भी यहाँ मजदूरों के आर्थिक विकास की समस्या भयंकर स्वरूप से व्याप्त है, भारत के संविधान निर्माता सभाने नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षितता देने में जागृकता दिखाई तथा संविधान के एक स्वतंत्र भाग १५ को निर्वाचन से संबंध किया। इस भाग के अनुच्छेद ३२४ से लेकर ३२९ तक निर्वाचन के संबंध में विस्तृत उपबंध किये गये हैं^१।

स्वतंत्र भारत के संविधान शिल्पी डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय, कृषि मजदूरों के आर्थिक विकास में सकारात्मक परिवर्तन हेतु 'State and Minorities' लेख II के अंतर्गत भारतीय आर्थिक संरचना की विस्तृत रूपरेखा विकसित की है, जिसमें मुख्यतः प्रथमतः सभी आधारभूत उद्योगों को राज्य स्वाधीन करके स्वयं या स्थापित लोगनिगमों द्वारा चलाने की; द्वितीय राष्ट्रीयकृत विमा तथा प्रत्येक प्रौढ नागरिकों का अनिवार्य जीवन बीमा निकालने की तथा तृतीय कृषि को राज्यउद्योग घोषित करने की पहल की है। जिसके अनुसार डॉ. अम्बेडकर संवैधानिक कानून द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था लाने के हिमयात्री रहे^२। स्पष्ट है कि वे आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को अनिवार्य मानते थे। भारतीय कृषि मजदूरों की समस्या समाधान भी उपरोक्त सिद्धांत में खोजा जा सकता है। राज्य समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 'प्रथमतः समाज के निम्नतम स्तर की माँग के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख उद्योगों एवं कृषि योग्य भूमि का राज्यस्वामित्व; द्वितीय राज्यद्वारा उत्पादन साधनों की देखभाल; तथा तृतीय जाति, वंश, वर्ग आदी भेदभाव रहित समाज में उत्पादन का न्यायपूर्ण वितरण^३। अर्थव्यवस्था को मौलिकता प्रदान की जाती है। अर्थात् सन्तुलित आर्थिक विकास हेतु स्वतंत्र भारतिय संविधान की उद्देशपत्रिका में अर्न्तभूत समानता, स्वतंत्रता एवं बंधूभाव पर आधारित जाति-वंश-वर्गविहीत आदर्श समाज व्यवस्था की। डॉ. अम्बेडकरने वकालत की थी तथा वर्ग विहित समाज को ही आर्थिक लोकतंत्र की सज्ञा दी थी^४। वे आर्थिक-सामाजिक, लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र से अग्रगामी मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति हेतु व्यवसाय की स्वतंत्रता, श्रम का उचित मोबदला तथा वेतन में समानता ही इसकी प्रमुख माँग रही है। कृषि मजदूरों की समस्या का समाधान उपरोक्त तथ्यों में दिखाई पड़ता है। यह सत्य प्रतीत होता है की, कृषि मजदूरों की समस्याओं का उच्चाटन 'मानवी मूल्य तथा आर्थिक कल्याण' पर ही संभव है^५।

समसामायिक राजकिय परिवेश, जुलाई १९९१ से भारत में उदारीकरण, खाजगीकरण एवंम् जागतिकीकरण पर आधारित व्यापक आर्थिक नीती व सुधार को अपनाया। भारत द्वारा गॅट (GATT) समझौते पर हस्ताक्षर किये गए तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (WTO) का भी सदस्य बन गया है। समसामायिक आर्थिक सुधार की प्रमुख विशेषताएं अंग्राकीत रूप से हैं। औद्योगिक लायसन्स नीती का उदारीकरण, उद्योगोंपर स्थान संबंधी मर्यादा का अभाव एकाधिकार एवं व्यापार व्यवहार कानून के अंतर्गत एकाधिकार संबंध की तरतुदियों को रद्द करना; विदेश विनिमय नियंत्रण कानून का उच्चाटन, देशांतर्गत उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनीया; परकीय पूंजी एवं तंत्रज्ञान को अधिक मुक्त प्रवेश; निर्यात आधारित उद्योगों में शतप्रतिशत पूंजी निवेश को परवानगी; उद्योगों के विकास हेतु निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका; आयात महसूल में बड़े पैमाने पर कपात तथा आयात संबंधी बंधनों का उच्चाटन जिसके कारण स्वयं देशी उद्योगों को उनसे प्रतिस्पर्धा करने को बाध्य किया। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के निगुंतवणूक की प्रक्रिया द्वारा निजीकरण तथा कुछ उद्योगों की निजीकरणों में बिक्री; देशी बीमा, उद्योग क्षेत्रमें विदेशी बीमा कम्पनी को परवानगी के साथ ही वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में मूलभूत



रचनात्मक बदल; सभी प्रकार की सहायता में कपात; उत्पन्न कर, कॉरपोरेट कर आदि सभी प्रत्यक्ष कर में कपात; तथा गैर एंव विश्वव्यापार संगठन के विधिनूसार भारतीय अर्थव्यवस्था का जागतिक अर्थव्यवस्था में बढ़ता सम्मिलीकरण आदी मौलिक विशेषताए है।

इसी प्रभाव से भारतीय आर्थिक सुधार मुख्यतः कुछ मूलभूत विश्वासों पर आधारित हैं^६। प्रथमतया राज्य की आर्थिक व्यवस्था में सरकार की मर्यादित भूमिका तथा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के विकास हेतु गति देनेवाले नीजी उद्योगों का प्राधान्य, अर्थात् केंद्रिय नियोजित अर्थव्यवस्था का बाजारअर्थव्यवस्था में रुपांतरण करना आर्थिक सुधारणा का उद्देश्य है; द्वितीय आंतर-बाह्य प्रतिस्पर्धा से मर्यादित आर्थिक संसाधनों का सुयोग्य वितरण एंव उसके द्वारा अधिकतम कार्यक्षम प्रयोग, जिससे संसाधन के प्रत्येक घटकों द्वारा अधिक से अधिक लाभ मिलना लाभदायक होगा; तृतीय, अर्थव्यवस्था के साथ एकात्मिकरण की प्रवृत्ति से विदेशी पूंजी एंव तंत्रज्ञान से संचार उत्पादन क्षमता का विस्तार हो सकेगा, अन्त में आर्थिक वृद्धि के लाभ सिध्दात पर आर्थिक सुधार का विश्वास है।

उपरोक्त वर्णन से यह ज्ञात होता है कि LPG की प्रक्रिया ने रोजगार की संधी कृषी के अन्तर्गत वास्तव मजदूरी के न्हास अन्नधान्य खुरक्षितता को धोका; कल्याणकारी राज्य का न्हास; दारिद्र्यता में वृद्धि; आरक्षण नीतियों का संकीर्ण आदि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है. सार्वजनिक क्षेत्र का संकोच एंव निजी क्षेत्र का बढ़ता वर्चस्व के कारण रोजगार के क्षेत्र में कृषक मजदूरों, गरिब, दलित वंचितों को दिए गये मर्यादित संरक्षण भी संकट में आ गये है। सामाजिक परिप्रेक्ष्यमें एल पी जी (LPG) के नकारात्मक परिणाम से बचने हेतु कुछ प्रावधान या नीतिया ^७ को अमल में लाना उपयुक्त होगा। मौलिक प्रावधानों में विशेषता भूमिहिन परिवारों में सरकार द्वारा कृषीयोग्य जमीन का यथोचित वितरण तथा अन्य स्वयंसेवी संगठन के सहकार्य से सहकारी कृषी का प्रारंभ पायाभूत सुविधा की उपलब्धता करता संवैधानिक बांधीलकी के अनुरूप समूचित आरक्षण नीति को अंमल करना चाहिए; निजी क्षेत्रमें भी आरक्षण का प्रावधान होना, प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य, स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण विकास , रस्ते रोजगार निर्माण योजना तथा निवास आदि महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा पर व्यय बढ़ाना; केंद्र शासन द्वारा कृषी व ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक के अनुरूप कृषी मजदूरों संबंधी विकास बैंक की प्रस्थापना, सरकार द्वारा कृषी मजदूर गरिब वंचितों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना का सुत्रपात करना तथा किमान वेतन कानून को अंमल में लाना; अंत में परिवर्तनशील परिस्थितियों में उचित शिक्षा कृषी मजदूरों को आर्थिक हक्क प्राप्त करने वाला अद्वितीय, योग्य तथा प्रभावी साधन है यही निर्विवाद सत्य है .

संदर्भ :

१. वसु, दुर्गादास, " भारत का संविधान एक परिचय", वाघवा प्रकाशन, नागपूर, २००८ पृ.स. ३४७।
२. बैसंती, डी.के., "अम्बेडकर : दि टोटल रिवालयूशनरी", सेजमेंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यु दिल्ली, १९९१, पृ.स. ५८।
३. ग्रोवर, विरेन्द्र (संपादित), " भीमराव रामजी अम्बेडकर, ए बायोग्राफी ऑफ हिज व्हिजन एण्ड आयडियाज", दिप एण्ड दिप एपब्लिकेशन, न्यु दिल्ली, १९९८ पृ.स. ४६४।
४. सवरैया, जी एण्ड देवराजू एम , "इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ डॉ बी आर अम्बेडकर - रिलेक्न्स टू द प्रेझेन्ट न्यु "इकोनॉमिक्स पॉलिसी", ठाकूर अनिलकुमार एंव दलीप कुमार (संपादित)'इकोनॉमिक्स थॉट्स ऑन जस्टिस एण्ड इक्वालिटी', दिप एण्ड दिप पब्लिकेशन, २००७, न्यु दिल्ली, पृ.स २४९- २५०।
५. जाटव, डि आर, "दी. प्राईम मुव्हर", ए.बी.डी.पब्लिशर्स जयपूर २००४ पृ.स.१२५ ।
६. मुणगेकर डॉ भालचंद्र, "भारतातील आर्थिक सुधारणा आणि दलित एक आंबेडकरी दृष्टिकोन", सुगावा प्रकाशन पुणे, मार्च २०१२, पृ.स. ३६।
७. वही पृ.स. ५१-५२ ।